दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

निर्णय तिथि: 25 फरवरी, 2014

सिविल वाद (मूल पक्ष) 1025/2012

डिज़्नी एंटरप्राइजेज, इंक व अन्य ..... वादी

द्वारा: श्री आदित्य कुट्टी, अधिवक्ता

बनाम

धीरज व अन्य ..... प्रतिवादी

द्वारा

कोरम:

माननीय न्यायमूर्ति श्री जी. एस. सिस्तानी

न्या. श्री जी. एस. सिस्तानी (मौखिक)

1. वादीगण ने स्थायी व्यादेश, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट के उल्लंघन पर रोक लगाने, चला देने, तनुकरण करने, नुकसानी, लाभ के लेखे के प्रतिपादन और वितरण हेतु वर्तमान वाद दायर किया है।

2. वाद में समन जारी किए गए और वादीगण द्वारा आदेश 39 नियम 1 और 2 के तहत दायर आवेदन में 18.4.2012 को निम्नलिखित अंतरिम आदेश पारित किया गया:

"मैंने वादी के अधिवक्ता की बात सुनी है और साथ ही वादपत्र, आवेदन और वर्तमान वादपत्र के साथ दायर दस्तावेजों का भी अवलोकन किया है। मैं संतुष्ट हूँ कि यह एकपक्षीय अंतरिम निषेधाज्ञा प्रदान करने के लिए उपयुक्त मामला है। तदनुसार, अगली सुनवाई की तिथि तक, प्रतिवादीगण, उनके प्रमुख अधिकारियों, निदेशकों, एजेंटों, फ्रेंचाइजी, सेवकों और अनुज्ञप्तिधारियों को स्कूल बैग, ट्रैवल बैग जैसे बैग सहित किसी भी उत्पाद का विपणन, बिक्री के लिए पेशकश, बिक्री, विज्ञापन, वितरण - प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से - करने से रोका जाता है, जिस पर शब्द चिह्न या चरित्र युक्ति या कलात्मक कार्य वादी के ट्रेडमार्क या कॉपीराइट के समान या भ्रामक रूप से मिलते-जुलते हों, जिसमें मिकी माउस, मिन्नी माउस, विनी द पूह, 'पूह' और वादी के किसी भी अन्य चरित्र/चिह्न/युक्ति/कलात्मक कार्य शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं। वादी आज से दो सप्ताह के भीतर सि.प्र.स. के आदेश नियम 3 के प्रावधानों का अनुपालन करेंगे।"

3. प्रतिवादीगण को जारी समन तामील नहीं हुआ, यद्यपि स्थानीय आयुक्त, जिन्हें मामले में नियुक्त किया गया था और जिन्होंने प्रतिवादीगण के परिसर का दौरा किया था, ने अपनी रिपोर्ट में प्रस्तुत किया कि प्रतिवादीगण को वर्तमान वाद के लंबित होने की जानकारी थी। चूंकि प्रतिवादी तामील स्वीकार करने से बच रहे थे, इसलिए वादीगण ने प्रतिस्थापित तामील के लिए सि.प्र.स. के आदेश 5 नियम 20 के तहत आवेदन दायर किया। इसके बाद प्रतिवादीगण को समाचार पत्र 'द स्टेट्समैन' और 'दैनिक जागरण' में प्रकाशन के माध्यम से तामील कराया गया।

4. प्रतिस्थापित तामील के बावजूद प्रतिवादी उपस्थित नहीं हुए, परिणामस्वरूप उनके खिलाफ 10.1.12013 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

5. वादीगण ने श्री विशाल आहूजा, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता और वादीगण के विधिपूर्ण मुख्तार के एकपक्षीय साक्ष्य के माध्यम से शपथ पत्र दायर किया है। शपथ पत्र को प्र.अभि.सा.-1/क के रूप में चिह्नित किया गया है। अभिसाक्षी ने वादपत्र की तर्ज पर बयान दिया है। उसने यह बयान दिया है कि उसके पास मुख्तारनामा है जो उसे वाद दायर करने के लिए अधिकृत करती है। प्राधिकरण से संबंधित मुख्तारनामा और अन्य दस्तावेजों को सामूहिक रूप से प्र.अभि.सा.-1/1 के रूप में प्रदर्शित किया जाता है।

6. अभि.सा.-1 ने यह बयान दिया है कि वादी सं. 1, डिज्नी एंटरप्राइजेज इंक., संयुक्त राज्य अमेरिका में डेलावेयर राज्य के कानूनों के तहत संगठित और विद्यमान एक निगम है, जिसका मुख्य व्यवसाय स्थान 500 साउथ बुएना विस्टा स्ट्रीट, बरबैंक, कैलिफोर्निया 91521-0874, यूएसए में है। यह भी बयान दिया गया है कि वादी सं. 2, द वॉल्ट डिज्नी कंपनी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, भारत के क्षेत्र में प्रचार, प्रकाशन और बिक्री के उद्देश्यों के लिए वादी सं. 1 के कॉपीराइट और ट्रेडमार्क के संबंध में मास्टर अनुज्ञप्तिधारी है (जिसे आगे "डीईआई सामग्री" के रूप में संदर्भित किया गया है)। वादी सं. 2 भारत में पंजीकृत एक कंपनी है जिसका पंजीकृत कार्यालय 4वीं मंजिल, पेनिनसुला टॉवर - , गणपतराव कदम मार्ग, लोअर परेल, मुंबई - 400013 में स्थित है और इसका शाखा

कार्यालय सी-301, तीसरी मंजिल, अंसल प्लाजा, हुडको प्लेस, एंड्रयूज गंज, नई दिल्ली - 110049 में स्थित है। यह भी कहा गया है कि वादी सं. 1 का मास्टर अनुज्ञप्तिधारी होने के कारण, वादी सं. 2 भारत में वादी सं. 1 के कॉपीराइट और ट्रेडमार्क के वाणिज्यिक उपयोग के लिए लाइसेंस देने के लिए जिम्मेदार है। इस प्रकार, वादी सं. 1 के कॉपीराइट और ट्रेडमार्क में उसके अधिकारों का कोई भी उल्लंघन या चोरी, वादी सं. 2 के भारत में व्यावसायिक हित को नुकसान पहुंचाएगी। इसलिए, जब भी भारत में वादी सं. 1 के अधिकारों का अतिलंघन/अतिक्रमण होता है, तो वादी सं. 2 एक प्रभावित और इच्छुक पक्ष होता है।

7. अभि.सा.-1 ने आगे कहा कि वादी वॉल्ट डिज़्नी कंपनी की सहायक कंपनियाँ हैं जो एक अग्रणी और विविधतापूर्ण अंतरराष्ट्रीय पारिवारिक मनोरंजन और मीडिया उद्यम है। वादी ने खुद को विभिन्न व्यवसायों में स्थापित किया है, विशेष रूप से अत्यधिक रचनात्मक और मनोरंजक एनिमेटेड मोशन पिक्चर्स और टेलीविज़न कार्यक्रमों के निर्माता और वितरक के रूप में, जिनके अद्वितीय पात्रों ने लोकप्रिय संस्कृति में पौराणिक अनुपात हासिल किया है। अभि.सा.-1 ने यह बयान दिया है कि वादी की बौद्धिक संपदा परिसंपत्तियों के समूह का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनने वाले विश्व स्तर पर प्रमुख पात्रों में *मिकी माउस, मिन्नी माउस, डोनाल्ड डक, डेज़ी डक, गूफी, प्लूटो, विनी द पूह, टाइगर, हन्ना मोंटाना,*

आदि शामिल हैं, लेकिन यह इन तक ही सीमित नहीं है (जिन्हें सामूहिक रूप से "डिज्नी पात्र" कहा जाएगा); और यह कि ये डिज्नी पात्र अस्सी वर्षों से अधिक समय से कई मोशन पिक्चर्स और टेलीविजन कार्यक्रमों में दिखाई दिए हैं और सभी क्षेत्रीय, आयु और लिंग बाधाओं को पार करते हुए उनकी अपनी एक बड़ी प्रशंसक-लोकप्रियता है।

8. अभि.सा.-1 ने आगे यह बयान दिया है कि वादी सं. 1 को उसके काम के विशिष्ट फ्लेवर के लिए पहचाना जाने लगा है और उसने न केवल मनोरंजन उद्योग में बल्कि हर व्यवसाय में खुद को एक ताकत के रूप में साबित किया है। मनोरंजन सेवाएं प्रदान करने के अलावा, वादी सं. 1 ने थीम पार्क बनाकर और खिलौने, किताबें, बैग, परिधान और व्यापारिक उद्योग को बढ़ावा देकर अपने संरक्षित पात्रों, ट्रेडमार्क, व्यापार नाम और सेवा चिह्नों की लोकप्रियता और प्रासंगिकता को बढ़ाया है जो इन पात्रों, ट्रेडमार्क, व्यापार नाम और सेवा चिह्नों से मिलता झुलता हैं। डीईआई सामग्री, विशेष रूप से चरित्र नाम, चरित्र उपकरण या पात्रों का वादी के साथ जुड़ाव इतना गहरा है कि इनका कोई भी संदर्भ संबंधित जनता के एक बड़े हिस्से को वादी और केवल वादी के साथ ही पहचानने, स्वीकार करने और संबद्ध करने के लिए प्रेरित करेगा। इसके अलावा, इस बात पर ध्यान दिए बिना कि माल और सेवाएँ वादी द्वारा स्वयं प्रदान की जाती हैं या उसके अनुज्ञप्तिधारियों के माध्यम से, किसी भी व्यवसाय, माल या

सेवाओं के संबंध में डीईआई सामग्री का उपयोग गुणवत्ता और अखंडता के उच्चतम मानकों को दर्शाता है। यह भी दर्शाया गया है कि जनता ऐसे उत्पादों को जोड़ने लगी है जो वादी के निशानों को अभेद्य अखंडता, उत्कृष्टता के उच्चतम स्तर, त्रुटिहीन और बेदाग गुणवत्ता और पैसे के लिए मूल्य जैसे गुणों के साथ जोड़ते हैं।

9. अभि.सा.-1 ने यह भी गवाही दी है कि वादी के चरित्रों और ट्रेडमार्क की प्रतिष्ठा और ख्याति वादी द्वारा शुरू किए गए हर व्यवसाय में फैली हुई है, चाहे वह यात्रा, रियल एस्टेट, प्रबंधन और डिजाइन सेवाएं, प्रिंट और प्रकाशन उद्योग, उपभोक्ता सामान और मर्चेंडाइजिंग, इंटरनेट और प्रत्यक्ष विपणन, गेमिंग और मोबाइल एप्लिकेशन या शैक्षिक सेवाओं, परिधान, पेय पदार्थ, कपड़े, गिफ्टवेयर, नवीन वस्तुएं, खेल उपकरण, बैग आदि जैसे इंटरैक्टिव मीडिया हों।

10. साक्षी ने आगे यह भी कहा है कि डीईआई सामग्रियों की सुरक्षा के लिए वादी ने भारत सहित कई देशों में सैकड़ों ट्रेडमार्क पंजीकृत किए हैं। यह भी कहा गया है कि मिकी माउस और मिन्नी माउस के चरित्र दुनिया भर में बेहद लोकप्रिय और प्रसिद्ध माने गए हैं और इसलिए उन्हें सुप्रसिद्ध चिह्न का दर्जा दिया गया है। यह कहा गया है कि डीईआई सामग्रियों पर ट्रेडमार्क के धारक होने के नाते, केवल वादी को ट्रेडमार्क से संबंधित उपयोग को अधिकृत करने या लाइसेंस जारी करने का अधिकार है। वादी

के सभी प्रासंगिक पंजीकरणों की एक सूची संलग्न है और इसे प्र. अभि.सा.-1/2 के रूप में प्रदर्शित किया गया है। ट्रेडमार्क पंजीकरणों के कानूनी कार्यवाही प्रमाणपत्रों की प्रतियों को सामूहिक रूप से प्र.अभि.सा.-1/3 के रूप में प्रदर्शित किया गया है। इसके अलावा, वादी के चरित्रों के ट्रेडमार्क पंजीकरणों के प्रासंगिक अर्क की प्रतियों को भी सामूहिक रूप से प्र. अभि.सा.-1/4. के रूप में प्रदर्शित किया गया है।

11. अभि.सा.-1 ने आगे यह भी कहा है कि डीईआई सामग्रियों की सुरक्षा के लिए, वादी के पास भारत सहित दुनिया भर में पात्रों पर सैकड़ों कॉपीराइट भी हैं। वादी उन पर कॉपीराइट का एकमात्र स्वामी होने के नाते दो आयामी या तीन दिशात्मक रूपों में इसके पुनरुत्पादन या अधिकृत/लाइसेंस देने का अधिकार रखता है। वादी के चरित्र गाइड के कॉपीराइट पंजीकरण प्रमाणपत्रों की प्रतियों को सामूहिक रूप से प्र.अभि.सा.-1/5 के रूप में प्रदर्शित किया गया है।

12. अभि.सा.-1 ने यह भी बयान दिया है कि वादी के प्रत्येक लाइसेंस प्राप्त उत्पाद (पैकेजिंग सहित) पर स्थायी रूप से चिपका हुआ कॉपीराइट नोटिस (आमतौर पर डिज्नी) और/या ट्रेडमार्क नोटिस होता है, जैसा कि वादी द्वारा अनुज्ञप्तिधारी को लिखित रूप में सूचित किया जा सकता है। वादी के अधिकृत/वास्तविक माल पर अनुज्ञप्तिधारी का नाम, पता और मूल देश स्थायी रूप से चिपकाए गए लेबल पर अंकित होता है। इसके

अलावा, वादी के अधिकृत माल पर कुछ वैधानिक घोषणाएँ भी होती हैं, जैसे निर्माता/पैकर का नाम और/या पता, खुदरा बिक्री मूल्य, माल की मात्रा, उपभोक्ता हेल्पलाइन संख्या आदि। ऐसी प्रमाणीकरण विशेषताओं वाले अधिकृत माल की तस्वीरें वाद के साथ दायर की गई हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से प्र.अभि.सा.-1/6 के रूप में प्रदर्शित किया गया है। वादी सं. 2 और संभावित अनुज्ञप्तिधारियों के बीच निष्पादित एक नमूना समझौते की प्रति भी वाद के साथ दायर की गई है और इसे प्र.अभि.सा.-1/7 के रूप में प्रदर्शित किया गया है।

13. यह भी कहा गया है कि वादी की अपार ख्याति को देखते हुए, विभिन्न संस्थाओं ने अतीत में अक्सर वादी के संरक्षित चिह्नों का अनाधिकृत रूप से उपयोग करके उनकी प्रतिष्ठा को अवैध रूप से भुनाने का प्रयास किया है। यह भी कहा गया है कि वादी द्वारा उक्त चिह्नों में अपने वैधानिक और सामान्य कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए शुरू की गई कार्यवाही में, न्यायालयों ने बार-बार वादी के अधिकारों की रक्षा की है और उनके पक्ष में आदेश पारित किए हैं, ऐसे आदेशों की प्रतियां दाखिल की गई हैं और सामूहिक रूप से प्र.अभि.सा.-1/8 के रूप में प्रदर्शित की गई हैं।

14. साक्षी ने यह बयान दिया है कि प्रतिवादी सं. 1, धीरज प्रतिवादी सं. 2 का मालिक है और 5752, सिंघारा चौक, फैक्ट्री रोड, नबी करीम, नई दिल्ली-110055 में रहता है; और प्रतिवादी सं. 2 धीरज बैग हाउस, जो

प्रतिवादी सं. 1 की अवैध गतिविधियों का अड्डा है, 5752 सिंघारा चौक, फैक्ट्री रोड, नबी करीम, नई दिल्ली-110055 में स्थित है। यह प्रमाणित किया गया है कि प्रतिवादी सं. 1 प्रतिवादी सं. 2 का प्रभारी है और वह विभिन्न प्रकार के बैग, जैसे स्कूल बैग, कैरी बैग आदि की बिक्री, थोक वितरण, व्यापार, भंडारण और सौदेबाजी के लिए जिम्मेदार है।

15. साक्षी ने आगे यह भी कहा कि अप्रैल 2012 में, वादी को उनके बाजार सूत्रों से पता चला कि प्रतिवादी वादी की अनुमति के बिना, वादी की डीईआई सामग्री वाले विभिन्न बैगों में खुदरा बिक्री, बिक्री के लिए पेशकश, बिक्री, व्यापार, थोक वितरण और अन्य सौदे कर रहे हैं। सूचना की पुष्टि करने के लिए, वादी ने श्री नीरज दहिया को प्रतिवादी सं. 2 से मिलने और प्रतिवादी की इस तरह के स्पष्ट उल्लंघन में संलिप्तता की पुष्टि करने के लिए नियुक्त किया। 03.04.2012 को, श्री नीरज प्रतिवादी सं. 2 से मिलने गए और रिपोर्ट की कि प्रतिवादी वादी के ट्रेडमार्क और कॉपीराइट संरक्षित पात्रों जैसे "मिकी माउस", "मिनी माउस", "विनी द पूह" आदि के साथ माल की बिक्री और वितरण में लगे हुए थे और श्री नीरज दहिया द्वारा की गई जांच की प्राप्ति पर, वर्तमान वाद दायर किया गया।

16. मैंने वादी के अधिवक्ता को ध्यानपूर्वक सुना है। साक्ष्य के रूप में जो शपथ पत्र दाखिल किया गया है और जो दस्तावेज अभिलेख में रखे गए

हैं, वे अप्रतिबंधित हैं। वादी के सभी पंजीकरणों की प्रासंगिक सूची को चिह्नित किया गया है और उसे प्र.अभि.सा.-1/2 के रूप में प्रदर्शित किया गया है। ट्रेड-मार्क पंजीकरणों के कानूनी कार्यवाही प्रमाणपत्रों की प्रतियों को सामूहिक रूप से प्र.अभि.सा.-1/3 के रूप में प्रदर्शित किया गया है, साथ ही वादी के चरित्रों के ट्रेड मार्क पंजीकरणों के प्रासंगिक अर्क की प्रतियों को सामूहिक रूप से प्र.अभि.सा.-1/4 के रूप में प्रदर्शित किया गया है, जो यह दर्शाएगा कि वादी ट्रेड मार्क और चरित्रों के पंजीकृत स्वामी हैं। वादी कॉपीराइट पंजीकरण प्रमाणपत्रों के आधार पर यह भी स्थापित करने में सक्षम रहे हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से प्र.अभि.सा.-1/5 के रूप में प्रदर्शित किया गया है, कि उनके पास भारत सहित दुनिया भर में चरित्रों पर कॉपीराइट है; और केवल वादी को ही दो या तीन आयामी रूपों में पुनरुत्पादन करने या इसके पुनरुत्पादन को अधिकृत या लाइसेंस देने का अधिकार है। वादी न्यायालय के समक्ष यह भी साबित करने में सक्षम रहे हैं कि उन्हें अपार ख्याति प्राप्त है और यह भी कि वे अपने अधिकारों की रक्षा करने में सतर्क रहे हैं। वादी के पक्ष में पारित आदेशों की प्रतियां दाखिल की गई हैं और सामूहिक रूप से प्र.अभि.सा.-1/8 के रूप में प्रदर्शित की गई हैं। स्थानीय आयुक्त ने भी अपनी रिपोर्ट दाखिल की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि निरीक्षण के दौरान उन्हें वादी के

ट्रेडमार्क वाले 40 से अधिक स्कूल बैग मिले। स्थानीय आयुक्त ने रिपोर्ट के साथ सहायक तस्वीरें भी दाखिल की हैं।

17. वादी ने प्रतिष्ठा, व्यवसाय और कार्यवाही की लागत के नुकसान के लिए भी नुकसानी का दावा किया है। यह कहना गलत नहीं होगा कि प्रतिवादी ने जानबूझकर वर्तमान कार्यवाही से खुद को दूर रखा है, जिसके परिणामस्वरूप नुकसानी के निर्धारण के लिए प्रतिवादी के खातों की जांच नहीं हो सकती है। ***टाइम इनकॉर्पोरेटेड बनाम लोकेश श्रीवास्तव व अन्य*** के मामले में 2005 (30) पीटीसी 3 (डीईएल) में प्रकाशित की गई, जहां 5 लाख रुपए के प्रतिकरात्मक नुकसानी के अलावा दांडिक नुकसानी भी दी गयी है, उक्त निर्णय के पैरा 7 और 8 को फिर से प्रस्तुत करना उपयोगी होगा, जो निम्नानुसार हैं:-

> "7. वादी के ट्रेडमार्क के घोर उल्लंघन के लिए दांडिक और अनुकरणीय नुकसानी के रूप में 5 लाख रुपए के दावे पर आते हुए, यह न्यायालय इस विचार पर है कि प्रतिकरात्मक नुकसानी और दांडिक नुकसानी के बीच अंतर किया जाना चाहिए। वादी को प्रतिकरात्मक नुकसानी प्रदान करने का उद्देश्य उसे हुए नुकसान की भरपाई करना है, जबकि दांडिक नुकसानी का उद्देश्य गलत काम करने वाले और इसी तरह की सोच रखने वाले लोगों को ऐसी गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल होने से रोकना है। जब भी कोई कार्रवाई आपराधिक प्रवृत्ति की होती है, तो दांडिक नुकसानी की स्पष्ट रूप से मांग की जाती है ताकि पैसा कमाने के उद्देश्य से कानूनों का उल्लंघन करने और दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन करने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया जा सके। दांडिक नुकसानी सुधारात्मक न्याय के दर्शन पर आधारित है और इस प्रकार, उचित मामलों में इन्हें गलत काम करने वालों को यह संकेत देने के लिए प्रदान किया जाना चाहिए कि कानून उल्लंघन को केवल प्रतिद्वंद्वी पक्षकारगण के बीच का मामला नहीं मानता है, बल्कि उन लोगों के बारे में भी चिंतित है जो

विवाद में पक्षकार नहीं हैं, लेकिन उल्लंघन के कारण पीड़ित हैं। इस मामले में, केवल वादी ही नहीं है, जिसे अपने ट्रेडमार्क और पत्रिका डिजाइन के उल्लंघन के कारण नुकसान उठाना पड़ा है, बल्कि प्रतिवादीगण की पत्रिका 'टाइम एशिया संस्कार' के बड़ी संख्या में पाठकों को भी प्रतिवादीगण की पत्रिकाएँ इस धारणा के तहत खरीदने के कारण नुकसान उठाना पड़ा है कि वे वादी कंपनी के प्रतिष्ठित प्रकाशन गृह से हैं।

8. इस न्यायालय को यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि अब समय आ गया है जब ट्रेडमार्क, कॉपी राइट, पेटेंट आदि के उल्लंघन के मामलों से निपटने वाले न्यायालयों को न केवल प्रतिकरात्मक नुकसानी प्रदान करनी चाहिए बल्कि दांडिक नुकसानी भी देनी चाहिए ताकि धन के लालच में कानून तोड़ने वालों को हतोत्साहित और निस्त्साहित किया जा सके, ताकि उन्हें यह एहसास हो कि यदि वे पकड़े गए तो उन्हें न केवल पीड़ित पक्ष को प्रतिपूर्ति करनी होगी बल्कि दांडिक नुकसानी भी देनी होगी, जो उनके लिए वित्तीय आपदा का कारण बन सकती है। मैथियास बनाम एक्कोर इकोनोमी लॉजिंग, इंक., 347 एफ.3डी 672 (7वां सीआईआर. 2003) मामले में दांडिक नुकसानी के अनुदान के अंतर्निहित कारकों पर चर्चा की गई और यह देखा गया कि दांडिक नुकसानी का एक कार्य छोटे अपराधों के आपराधिक अभियोजन के लिए एक नागरिक विकल्प प्रदान करके आपराधिक न्याय की अतिभारित प्रणाली पर दबाव को कम करना है। इसके अतिरिक्त यह भी देखा गया कि दांडिक नुकसानी प्रदान करना प्रतिवादी की पहचान और अभियोजन से बचकर अपने धोखाधड़ी से लाभ कमाने की क्षमता को सीमित करने के अतिरिक्त उद्देश्य की पूर्ति करता है। यदि कोई अपराधी आधे समय ही अपराध करते हुए पकड़ा जाता है, तो पकड़े जाने पर उसे दुगुनी सजा दी जानी चाहिए, ताकि इस बात की भरपाई हो सके कि वादी के लिए उसे हुए वास्तविक नुकसानी का साक्ष्य देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसे कामों में शामिल प्रतिवादी कभी भी अपने लेन-देन का उचित हिसाब नहीं रखते, जबकि उन्हें पता होता है कि वे आपत्तिजनक और गैरकानूनी हैं। वर्तमान मामले में, दांडिक नुकसानी का दावा केवल 5 लाख रुपए का है, जिसे सुरक्षित रूप से दिया जा सकता है। यदि यह अधिक होता, तो भी यह न्यायालय इसे देने में संकोच नहीं करता। न्यायालय का मानना है कि दांडिक नुकसानी वास्तव में दंडात्मक होना चाहिए, न कि जल्दबाजी में लिया जाना चाहिए और इसकी मात्रा उल्लंघन की घोरता पर निर्भर होनी चाहिए।"

18. मैं वादी के विद्वान अधिवक्ता के इस कथन से सहमत हूँ कि ऐसे मामलों में नुकसानी अवश्य दी जानी चाहिए तथा प्रतिवादी, जो न्यायालय की कार्यवाही से दूर रहना चाहता है, उसे न्यायालय की कार्यवाही से बचने का लाभ नहीं मिलना चाहिए। इसके विपरीत कोई भी दृष्टिकोण ऐसी स्थिति उत्पन्न करेगा जहाँ प्रतिवादी जो न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी खाता बही प्रस्तुत करता है, वह नुकसानी के लिए उत्तरदायी होगा, जबकि दूसरा प्रतिवादी जो न्यायालय की कार्यवाही से दूर रहना चाहता है, वह खाता बही उपलब्ध न होने के कारण दायित्व से बच जाएगा। जो पक्षकार न्यायालय की कार्यवाही में भाग न लेने का विकल्प चुनता है तथा दूर रहता है, उसे वादी द्वारा बताए गए तथा निर्धारित नुकसानी के परिणाम भुगतने होंगे। ऐसे पक्षकारगण को धोखाधड़ी के ऐसे कृत्यों में लिप्त होने से हतोत्साहित करने के लिए एक बड़ा सार्वजनिक उद्देश्य शामिल है, तथा इस प्रकार, भले ही उसमें दंडात्मक तत्व हो, उसे अवश्य प्रदान किया जाना चाहिए। न्या. आर.सी. चोपड़ा ने **टाइम इनकॉर्पोरेटेड के मामले (पूर्वोक्त)** में बहुत ही संक्षेप में कहा है कि दांडिक नुकसानी सुधारात्मक न्याय के दर्शन पर आधारित है।

19. उपरोक्त कारणों से, वादीगण ने वादपत्र में प्रार्थना के अनुसार डिक्री प्रदान करने का मामला बनाया है। तदनुसार, दिनांक 18.04.2012 के आदेश की पुष्टि की जाती है और वाद वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के

विरुद्ध डिक्री किया जाता है। वादी 2.0 लाख रुपए तक के नुकसानी के भी हकदार हैं। तदनुसार डिक्री शीट तैयार की जाए।

<u>अंतर.आ.सं.6935/2012 एवं 16906/2012</u>

वाद में पारित आदेश को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान आवेदनों का निपटारा किया जाता है।

(जी. एस. सिस्तानी)
न्यायाधीश

25 फरवरी, 2014 एसएसएन//डीकेबी// पीडीएफ

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्झेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*